CAAE – 3 (E)

COMMON ASSISTANT ACCOUNTS OFFICER EXAMINATION

MAY, 2012

ACCOUNTING PROCEDURE (With Books)

Time Allowed : 3 Hours *Maximum Marks : 150*

Books allowed :

1. Civil Accounts Manual.
2. Central Government Accounts (Receipts and Payments) Rules, 1983.
3. Government Accounting Rules, 1990.
4. List of Major and Minor Heads of Accounts of Union and States.
5. Scheme for payment of pensions to Central Civil Pensioners by Public Sector Banks.
6. Central Treasury Rules Vol.I.

Note :
1. Answer question nos. **1** and **2** which are **compulsory** and any **four** of the rest. Marks are indicated against each question.
2. Rules should be quoted to support your answer wherever possible.
3. This question paper contains **8** pages and has **8** questions.

Forms to be supplied:
1. CAM -33
2. Appropriation A/c.

1. The following transactions took place in the Pay & Accounts Office (Secretariat) of the Department of Expenditure, Ministry of Finance, New Delhi during the month of September, 2011. Compile the transactions in the compilation sheet (CAM 33) and also prepare the Classified Abstract.

(i) Date	Details of transactions	Amount (₹)
03-09-2011	Following advances were paid to an officer of the Department of Expenditure proceeding on transfer to the Ministry of Agriculture.	
	(a) Advance of pay ₹28,000	
	(b) Advance of TA ₹16,000	
	(Cheque No.B-004414)-(DV No.1)	44,000

04-09-2011	Payment by cheque to M/s 'X' for supply of air conditioner (Cheque No.A-002503)-(DV No.2)	35,000
05-09-2011	Paid arrears due to refixation of pay of a Section Officer for certain period in 2008-09 when he was serving in the Ministry of Agriculture. The due and drawn statement was got duly vetted by the Ministry of Agriculture. (Cheque No.B-004415)-(DV No. 3)	12,500
08-09-2011	Paid GP Fund part final withdrawal to an IAS Officer belonging to Haryana cadre presently working in the Department. (Cheque No.A-002504)-(DV No. 4)	1,70,000
10-09-2011	Paid motor car advance to an officer belonging to Andhra Pradesh cadre (Cheque No.A-002505)-(DV No. 5)	1,80,000
16-09-2011	Recoupment of office imprest after adjusting petty items of contingent expenditure (Cheque No. B-004416)-(DV No. 6)	6,569
17-09-2011	Paid medical reimbursement bill of Mr. X (Cheque No.B-004417)-(DV No. 7)	1,610
24-09-2011	Bill for GP Fund part final withdrawal in respect of Mr. Y (Cheque No.A-002506)-(DV No. 8)	17,900
25-09-2011	Payment of pension for the month of August 2011 to Mr. Z (Cheque No.A-002507)-(DV No. 9)	11,000
26-09-2011	Payment of salary for the month of September 2011 with the following details: (i) Refund of unspent balance of LTC advance – ₹1,000 (ii) Recovery of festival advance – ₹5,000 (iii) Income Tax – ₹1,700 (iv) Licence fee – ₹370 (v) Interest on unspent balance of LTC advance – ₹71 (vi) GP Fund – ₹43,000, includes ₹3000 in respect of the IAS officer belonging to Haryana cadre. (vii) House building advance – ₹18,000, includes ₹2,000 in respect of the IAS Officer belonging to Haryana cadre. (Cheque No.B-004418)-(DV No. 10)	48,554

28-09-2011 Payment of salary for the month of September 2011 with the following details:

(i) Income tax – ₹8,711

(ii) Licence fee – ₹881

(iii) GP Fund – ₹98,804, includes ₹5,700 in respect of an IAS officer belonging to Haryana cadre.

(iv) HBA-₹6,223 includes ₹1,400 in respect of an IAS officer belonging to Haryana cadre.

(Cheque No.B-004419)-(DV No. 11) 71,197

30-09-2011 The recoveries amounting to ₹8,711 appearing under minor head P&AO suspense below major head 8658 suspense account in the accounts for the month of August 2011 have been passed on to Accountant General (Haryana), Chandigarh.

(Cheque No.C-001215)-(DV No. 12) 8,711

(ii) The Focal Point Branch sent following scrolls during the month of September 2011.

Payment Scrol:- All the cheques issued during September 2011 excepting Cheque No. C-001215 dated 30-09-2011 together with three cheques worth ₹20,87,990 issued prior to September 2011.

Receipt Scrol:- (a) Refund of unspent balance of LTC-₹1,000. (b) Penal Interest on unspent balance of LTC-₹20. (c) Sale of news paper- ₹3,213 and (d) Transfer of GP Fund balances from Ministry of Home Affairs. – ₹2,80,180.

(iii) The Principal Accounts Office received monthly statement (CAS-122) from RBI CAS Nagpur indicating receipt of ₹87,56,17,917 and payment of ₹1,20,74,44,805 under PSB transactions adjustment of which is to be carried out by the P&AO, Department of Expenditure in the month of September 2011.

(iv) The Principal Accounts Office received advice from Accountant General (Punjab), Chandigarh on account of refund of unspent balance of Grants-in-Aid amounting to ₹17.09 Lakh given during 2004-05 for a centrally sponsored plan scheme during September 2011. The clearance memo was also received from RBI CAS Nagpur. Both the items are to be adjusted by the P&AO in the Accounts for the month of September 2011.

(40 marks)

2. From the particulars given below, prepare the Head-wise Appropriation accounts for the Year 2010-11 in respect of Grant No. 77-Department of Bio-Technology. All the figures are in Rupees:

Head of Account		**Original Budget Provision** (All Voted)
Revenue Section		
Major Head	"3451"	
Minor Head	00.090	
Sub Head	23	3,47,00,000
Minor Head	00.800	
Sub Head	03	5,00,000
Major Head	"3425"	
Sub-Major Head	60	
Minor Head	60.200	
Sub-Head	02	57,08,00,000
Sub Head	19	49,40,00,000
Minor Head	60.798	
Sub Head	03	6,50,00,000
Major Head	"3601"	
Sub Major Head	04	
Minor Head	04.103	
Sub Head	31	7,50,00,000
Capital Section	"5425"	
Minor Head	00.190	
Sub Head	01	5,00,000
Sub Head	02	1,00,00,000

(i) A Supplementary Grant of ₹1,22,00,000 was obtained in March 2011 under Sub Head 5425.00.190.02 in the Capital (voted) Section of the Grant.

(ii) The department issued three re-appropriation orders in the month of March 2011. The effect of these re-appropriation orders under the various Sub-heads was as follows:

Sub-Head	From	To
(a) 3451 00 090 23	...	95,35,000
(b) 3451 00 800 03	...	50,000
(c) 3425 60 200 02	5,50,000	...
(d) 3425 60 200 19	1,06,75,000	...
(e) 3425 60 798 03	...	16,40,000
Total	**1,12,25,000**	**1,12,25,000**

(iii) A sum of ₹3,20,70,000 was surrendered from the Sub-Head 3425 60 200 02.

(iv) (a) Expenditure booked by the Principal Accounts Office of the Ministry which controls the Grant on the basis of expenditure reported by PAOs (Bio-Technology) was as follows:

Sub-Heads	Amount
3451 00 090 23	4,49,48,000
3451 00 800 03	6,23,000
3425 60 200 02	53,31,90,000
3425 60 200 19	48,30,11,000
3425 60 798 03	6,61,06,000
3601 04 103 31	7,50,00,000
5425 00 190 01	5,00,000
5425 00 190 02	2,22,00,000

(b) The under mentioned expenditure was incurred by the Agent Ministries on behalf of Deptt. of Bio-Technology on authorization of budget and the expenditure intimated to the Principal Accounts office who controls the Grant:

Ministry	Sub-Head	Amount
Ministry of External Affairs	3425 60 200 02	13,43,000
	3425 60 200 19	1,02,000
Ministry of Information Technology	3425 60 798 03	5,28,000

(c) A sum of ₹15,65,000 was booked by Ministry of Information Technology under the Sub-Head "3451 00 090 23" for which no authorization was made by the Principal Accounts Office of the Deptt. of Bio-Technology. The expenditure was not related to Deptt. of Bio-Technology.

(d) A sum of ₹7,50,000 being unspent balance of Grants-in-Aid paid during 2008-09 was received from Government of Haryana through the channel of RBI-CAS Nagpur and adjusted in the Account for the year 2010-11. *(30 marks)*

3 (i) Define the conditions governing allocation of expenditure between Capital and Revenue. *(10 marks)*

(ii) Under the Departmentalized system of accounting, the Secretary of each Ministry acts as the Chief Accounting Authority and is responsible for finally approving and signing the Head-wise Appropriation Accounts of the Grants/Appropriations administered by his Ministry. What are the exceptions in this regard? *(10 marks)*

4. Prepare transfer entries in respect of <u>any 5</u> of the following transactions:-

(i) Supplementary demands of ₹400.00 crore is passed by Parliament to cover unforeseen expenditure incurred from Contingency Fund on account of mid-term poll to the Lok Sabha. *(4 marks)*

(ii) Put through statement for the month of April 2011 showing total receipt of ₹250.00 crore and payment of ₹300.00 crore is received from RBI-CAS Nagpur in May 2011 before closing the accounts for the month of April 2011. *(4 marks)*

(iii) The Arrear Salary bill of the Agriculture Minister for ₹1.10 lakhs paid by the P&AO, Ministry of Agriculture (Sectt.) and adjusted finally in their books. *(4 marks)*

(iv) The undistributed assets of a company that went into liquidation, amounting to ₹5.00 lakhs, have remained unclaimed for more than 15 years. *(4 marks)*

(v) Sanction from the competent authority for writing off of the unreconciled excess debit of ₹5.25 lakhs under the head House Building Advance was received in April 2011. *(4 marsk)*

(vi) Ministry of Railways rejected the claim amounting to ₹ 20.00 lakhs as raised by the P&AO, Supply through the channel of RBI-CAS Nagpur. The advice supported by connected vouchers received in the P&AO (Supply) indicates that the rejected debit pertains to Ministry of Defense. *(4 marks)*

5. (i) Define the criteria for write-off of balances from debt, deposits, suspense & remittance heads closed to balance & classification thereof in accounts. *(10 marks)*

(ii) Describe the various types of contingent charges. *(10 marks)*

6. Classify **any five** of the following items of transactions giving full details.

(i) Ways and means advances from Reserve Bank of India. *(4 marks)*

(ii) Special Securities issued to Reserve Bank of India by conversion of treasury bills. *(4 marks)*

(iii) Decretal amount deposited in the Appellate Court for obtaining "stay order" on the decree awarded by the Lower Court. *(4 marks)*

(iv) Penal interest on LTC Advance. *(4 marks)*

(v) Assistance received by the Government of India from World Health Organisation (WHO) in the form of aid-materials. *(4 marks)*

(vi) Disinvestment of Government's equity holdings. *(4 marks)*

7. Comment on **any four** of the following:

(i) While accepting the debit on account of transfer of balances of House Building Advance of the Government Servant working under his accounting jurisdiction the P&AO paid the amount by debiting Major head 7610-Loans to Government Servants-House Building Advances. *(5 marks)*

(ii) While issuing the letter of credit for the first quarter of the financial year in favour of Cheque Drawing DDO, the P&AO advised the bank to carry forward the unspent balance out of the letter of credit as on 31st March of the previous financial year. *(5 marks)*

(iii) After making payment of outstation pay bills for the month of March, the net debit on this account was booked by the P&AO under Major Head 8658-Suspense Account-outstation pay bill for the month of March. While carrying out the Accounting Adjustment in the Accounts for the month of April during next financial year on this account, the net amount was debited to the final head of account by per contra (-) debit to the suspense head mentioned above. *(5 marks)*

(iv) After placing the funds at the disposal of the agent Ministry, the P&AO debited the amount to the final head of account by per contra credit to the minor head Public Sector Bank Suspense below Major Head 8658-Suspense Account. *(5 marks)*

(v) While arranging payment of Grant-in-Aid to the Government of Punjab through the channel of Reserve Bank of India, Nagpur, the Principal Accounts Office adjusted the amount debiting the final head of account by per contra credit to the Minor Head P&AO Cheques below Major Head 8670-Cheques and Bills. *(5 marks)*

8. Write short notes on **any four** of the following:

(i) Guarantees given by the Government of India. *(5 marks)*

(ii) Attachment of Debt. *(5 marks)*

(iii) Proforma Corrections. *(5 marks)*

(iv) New Services and New Instruments of Services *(5 marks)*

(v) Permanent Advance. *(5 marks)*

CAAE – 3 (H)

सहायक लेखा अधिकारी सामूहिक परीक्षा

मई, 2012

लेखा कार्यविधि (पुस्तकों सहित)

समय : 3 घंटे *अधिकतम अंक : 150*

अनुमत पुस्तकें :

1. सिविल लेखा मैनुअल
2. केन्द्रीय सरकार लेखा (प्राप्ति एवं संदाय) नियम, 1983
3. सरकारी लेखाकरण नियम, 1990
4. संघ और राज्यों की मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची
5. केन्द्रीय सरकार के सिविल पेंशनभोगियों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों के माध्यम से पेंशन अदा करने की योजना
6. केन्द्रीय राजकोष नियम खंड-I

टिप्पणियां :

(1) प्रश्न संख्या **1** और **2 अनिवार्य** है और शेष में से **किन्हीं चार** प्रश्नों के उत्तर दें। अंक प्रत्येक प्रश्न के सामने दिए गए हैं।

(2) जहां सम्भव हो अपने उत्तर के समर्थन में प्राधिकार का उल्लेख करें।

(3) इस प्रश्न पत्र में **8** प्रश्न और **8** पृष्ठ हैं।

उपलब्ध कराए जाने वाले फार्म :

1. सी.ए.एम.-33
2. विनियोग लेखा फार्म

1. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली के भुगतान और लेखा कार्यालय (सचिवालय) में सितम्बर, 2011 माह के दौरान निम्नलिखित लेनदेन हुआ। संकलन शीट (सी.ए.एम.33) में इन लेनदेनों को संकलित कीजिए और वर्गीकृतसार भी तैयार कीजिए :-

(i) तारीख	लेनदेन का ब्योरा	(₹) राशि
03.09.2011	कृषि मंत्रालय में स्थानांतरण पर जाने वाले व्यय विभाग के अधिकारी को निम्नलिखित अग्रिम अदा किए गए:	
	(क) वेतन का अग्रिम ₹28,000	

	(ख) यात्रा भत्ते का अग्रिम ₹16,000 (चेक सं.बी-004414) - (डीवी सं.1)	44,000
04.09.2011	एअर कंडीशनर की पूर्ति के लिए मैसर्स 'एक्स' को चेक द्वारा अदायगी (चेक सं. ए-002503) - (डीवी सं.2)	35,000
05.09.2011	एक अनुभाग अधिकारी को 2008-09 के कुछ अवधि के लिए जब वह कृषि मंत्रालय में सेवारत था, वेतन का पुनर्निधारण किए जाने पर बकाया राशि की अदायगी की गई। देय और आहरित विवरण की जांच कृषि मंत्रालय से विधिवत करवा ली गई थी। (चेक सं.बी-004415) - (डीवी सं.3)	12,500
08.09.2011	विभाग में इस समय कार्यरत हरियाणा संवर्ग के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी को सामान्य भविष्य निधि आंशिक अंतिम आहरण की अदायगी की गई (चेक सं. ए-002504) - (डीवी सं.4)	1,70,000
10.09.2011	आंध्र प्रदेश संवर्ग के एक अधिकारी को मोटर कार अग्रिम की अदायगी की गई (चेक सं. ए-002505) - (डीवी सं.5)	1,80,000
16.09.2011	आकस्मिक व्यय की छोटी-मोटी मदों का समायोजन करने के बाद कार्यालय अग्रदाय की प्रतिपूर्ति (चेक सं. बी-004416) - (डीवी सं.6)	6,569
17.09.2011	श्री 'एक्स' का चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल अदा किया (चेक सं. बी-004417) - (डीवी सं.7)	1,610
24.09.2011	श्री 'वाई' के संबंध में सामान्य भविष्य निधि आंशिक अंतिम आहरण का बिल (चेक सं. ए-002506) - (डीवी सं.8)	17,900
25.09.2011	श्री 'जेड' को अगस्त 2011 माह की पेंशन की अदायगी (चेक सं. ए-002507) - (डीवी सं.9)	11,000
26.09.2011	सितम्बर 2011 माह के वेतन की अदायगी जिसका ब्योरा इस प्रकार है : (i) छुट्टी यात्रा रियायत के अव्ययित शोष की वापसी - ₹1,000 (ii) त्यौहार अग्रिम की वसूली - ₹5,000 (iii) आयकर - ₹1,700 (iv) लाइसेंस शुल्क - ₹370	

(v) छुट्टी यात्रा रियायत के अव्ययित शेष पर ब्याज - ₹71

(vi) सामान्य भविष्य निधि - ₹43,000 जिसमें हरियाणा संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी के ₹3,000 शामिल हैं।

(vii) भवन निर्माण अग्रिम - ₹18,000 जिसमें हरियाणा संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी के ₹2,000 शामिल हैं
(चेक सं. बी-004418) - (डीवी सं. 10) 48,554

28.09.2011 सितम्बर 2011 माह के वेतन की अदायगी जिसका ब्योरा इस प्रकार है :

(i) आयकर - ₹8,711

(ii) लाइसेंस शुल्क - ₹881

(iii) सामान्य भविष्य निधि - ₹98,804 जिसमें हरियाणा संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी के ₹5,700 शामिल हैं।

(iv) गृह निर्माण अग्रिम - ₹6,223 जिसमें हरियाणा संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी के ₹1,400 शामिल हैं।
(चेक सं.बी-004419)-(डीवी सं.-11) 71,197

30.09.2011 अगस्त 2011 माह के लेखों में मुख्य शीर्ष 8658 उचंत लेखा के नीचे लघु शीर्ष भुगतान और लेखा कार्यालय उचंत के नीचे दर्ज ₹8,711 की वसूलियों की राशि महालेखाकार हरियाणा चंडीगढ़ को भेज दी गई।
(चेक सं. सी-001215)-(डीवी सं.-12) 8,711

(ii) केंद्र बिंदु शाखा ने सितम्बर 2011 माह के दौरान निम्नलिखित स्क्राल भेजे।

अदायगी स्क्रालः- सितम्बर 2011 से पूर्व जारी किए गए ₹20,87,990 मूल्य के तीन चेकों सहित, दिनांक 30.09.2011 के चेक सं. सी-001215 को छोड़कर, सितम्बर 2011 के दौरान जारी किए गए सभी चेक।

प्राप्ति स्क्रालः- (क) छुट्टी यात्रा रियायत के अव्ययित शेष की वापसी - ₹1,000 (ख) छुट्टी यात्रा रियायत के अव्ययित शेष पर दंड स्वरूप ब्याज - ₹20 (ग) समाचार पत्रों की बिक्री - ₹3,213 और (घ) गृह मंत्रालय से सामान्य भविष्य निधि का अंतरण - ₹2,80,180.

(iii) प्रधान लेखा कार्यालय को भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय लेखा अनुभाग नागपुर से मासिक विवरण (सीएएस-122) प्राप्त हुआ जिसमें पीएसबी लेनदेनों के अंतर्गत ₹87,56,17,917 की प्राप्ति और ₹1,20,74,44,805 की अदायगी दर्शाई गई थी जिसका समायोजन भुगतान और लेखा अधिकारी, व्यय विभाग द्वारा सितम्बर 2011 माह में किया जाना है।

(iv) सितम्बर 2011 के दौरान केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीम के लिए 2004-05 के दौरान दिए गए ₹17.09 लाख की राशि के सहायता अनुदान के अव्ययित शेष की वापसी के लिए प्रधान लेखा कार्यालय को महालेखाकार पंजाब, चंडीगढ़ से सूचना प्राप्त हुई। भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर से भी समाशोधन ज्ञापन प्राप्त हुआ। दोनों मदों को भुगतान और लेखा कार्यालय द्वारा सितम्बर 2011 माह के लेखों में समायोजित किया जाना है।

(40 अंक)

2. नीचे दिए गए ब्योरे से अनुदान सं:77-जैव प्रौद्योगिकी विभाग के संबंध में वर्ष 2010-11 के शीर्षवार विनियोग लेखे तैयार कीजिए। सभी आंकड़े रुपयों में हैं।

लेखा शीर्ष		**मूल बजट प्रावधान** (सभी स्वीकृत)
राजस्व भाग:		
मुख्य शीर्ष	"3451"	
लघु शीर्ष	00.090	
उप शीर्ष	23	3,47,00,000
लघु शीर्ष	00.800	
उप शीर्ष	03	5,00,000
मुख्य शीर्ष	"3425"	
उप मुख्य शीर्ष	60	
लघु शीर्ष	60.200	
उप शीर्ष	02	57,08,00,000
उप शीर्ष	19	49,40,00,000
लघु शीर्ष	60.798	
उप शीर्ष	03	6,50,00,000
मुख्य शीर्ष	"3601"	
उप मुख्य शीर्ष	04	
लघु शीर्ष	04.103	
उप शीर्ष	31	7,50,00,000

पूंजीगत भाग	"5425"	
लघु शीर्ष	00.190	
उप शीर्ष	01	5,00,000
उप शीर्ष	02	1,00,00,000

(i) अनुदान के पूंजीगत (स्वीकृत) भाग में उप शीर्ष 5425.00.190.02 के अंतर्गत मार्च 2011 में ₹ 1,22,00,000 का पूरक अनुदान प्राप्त किया गया था।

(ii) विभाग ने मार्च 2011 माह में तीन पुनर्विनियोजन आदेश जारी किए थे। इन पुनर्विनियोजन आदेशों का प्रभाव विभिन्न उप शीर्षों के अंतर्गत इस प्रकार था:

उप शीर्ष	**से**	**को**
(क) 3451 00 090 23	...	95,35,000
(ख) 3451 00 800 03	...	50,000
(ग) 3425 60 200 02	5,50,000	...
(घ) 3425 60 200 19	1,06,75,000	...
(ङ) 3425 60 798 03	...	16,40,000
जोड़	**1,12,25,000**	**1,12,25,000**

(iii) ₹3,20,70,000 की राशि उपशीर्ष 3425.60.200.02 से अभ्यर्पित की गई थी।

(iv) (क) भुगतान और लेखा कार्यालयों (जैव प्रौद्योगिकी) द्वारा सूचित व्यय के आधार पर अनुदान नियंत्रण करने वाले मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा दर्ज किया गया व्यय इस प्रकार था:

उप शीर्ष	**राशि**
3451 00 090 23	4,49,48,000
3451 00 800 03	6,23,000
3425 60 200 02	53,31,90,000
3425 60 200 19	48,30,11,000
3425 60 798 03	6,61,06,000
3601 04 103 31	7,50,00,000
5425 00 190 01	5,00,000
5425 00 190 02	2,22,00,000

(ख) बजट प्राधिकृत किए जाने पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से अभिकर्ता मंत्रालयों द्वारा किया गया व्यय जोकि अनुदान नियंत्रण करने वाले प्रधान लेखा कार्यालय को सूचित किया गया उसका ब्योरा इस प्रकार हैः

मंत्रालय	उप-शीर्ष	राशि
विदेश मंत्रालय	3425 60 200 02	13,43,000
	3425 60 200 19	1,02,000
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	3425 60 798 03	5,28,000

(ग) ₹ 15,65,000 की राशि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उपशीर्ष "3451.00.090.23" के अंतर्गत दर्ज की गई थी जिसके लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा कोई प्राधिकरण नहीं किया गया था। यह व्यय जैव प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित नहीं था।

(घ) 2008-09 के दौरान प्रदत्त सहायता अनुदान की ₹ 7,50,000 की अव्ययित शेष की राशि भारतीय रिजर्व बैंक - केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर के चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार से प्राप्त हुई थी और इसे वर्ष 2010-11 के लेखे में समायोजित किया गया था। *(30 अंक)*

3. (i) पूंजीगत और राजस्व के बीच व्यय के आवंटन को शासित करने वाली शर्तों का वर्णन कीजिएः- *(10 अंक)*

(ii) विभागीकृत लेखा प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मंत्रालय का सचिव मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में कार्य करता है और मंत्रालय द्वारा प्रबंध किए जाने वाले अनुदानों/विनियोगों के शीर्षवार विनियोग लेखों को अंतिम रूप से अनुमोदित करने और हस्ताक्षर करने के लिए उत्तरदायी होता है। इस संबंध में अपवाद क्या हैं? *(10 अंक)*

4. निम्नलिखित लेनदेनों में से **<u>किन्हीं 5</u>** के संबंध में अंतरण प्रविष्टियां कीजिएः-

(i) लोक सभा के मध्यावधि चुनावों के कारण आकस्मिकता निधि से किए जाने वाले अप्रत्याशित व्यय को करने के लिए संसद द्वारा पारित ₹ 400.00 करोड़ की पूरक मांग। *(4 अंक)*

(ii) अप्रैल 2011 माह के लेखे बंद किए जाने से पूर्व मई 2011 में भारतीय रिजर्व बैंक - केंद्रीय लेखा अनुभाग नागपुर से अप्रैल 2011 माह के लिए निष्पादित राशि का विवरण प्राप्त हुआ जिसमें कुल ₹ 250.00 करोड़ की प्राप्ति और ₹ 300.00 करोड़ की अदायगी दर्शाई गई थी। *(4 अंक)*

(iii) कृषि मंत्री का ₹1.10 लाख का बकाया वेतन बिल भुगतान और लेखा कार्यालय कृषि मंत्रालय (सचिवालय) द्वारा अदा किया गया और इसका समायोजन अंततः उनकी बहियों में किया गया। *(4 अंक)*

(iv) परिसमापन में गई कम्पनी की अवितरित परिसम्पत्ति ₹5.00 लाख थी जो 15 वर्षों से अधिक समय तक अदावी रही। *(4 अंक)*

(v) शीर्ष भवन निर्माण अग्रिम के अंतर्गत ₹5.25 लाख की असमाधानीकृत अतिरिक्त नामे राशि को बट्टे खाते डाले जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अप्रैल 2011 में स्वीकृति प्राप्त हुई। *(4 अंक)*

(vi) रेल मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक - केंद्रीय लेखा अनुभाग नागपुर के चैनल के माध्यम से भुगतान और लेखा कार्यालय पूर्ति द्वारा किए गए ₹20.00 लाख के दावे को अस्वीकृत कर दिया। संबंधित वाउचरों के समर्थन सहित सूचना भुगतान और लेखा कार्यालय (पूर्ति) में प्राप्त हुई जो यह दर्शाती है कि अस्वीकृत नामे राशि रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। *(4 अंक)*

5. (i) शेष को बंद किए जाने वाले ऋण, जमा, उचंत और प्रेषण शीर्षों से शेषों को बट्टे खाते डाले जाने संबंधी मानदंडों और लेखों में उनके वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। *(10 अंक)*

(ii) विभिन्न प्रकार के आकस्मिक प्रभारों का वर्णन कीजिए। *(10 अंक)*

6. लेनदेनों की निम्नलिखित मदों में से **किन्हीं पांच** का पूरा ब्योरा देते हुए वर्गीकरण कीजिए।

(i) भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम। *(4 अंक)*

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक को खजाना बिलों के परिवर्तन द्वारा जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां। *(4 अंक)*

(iii) निचले न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री पर "स्थगन आदेश" प्राप्त करने के लिए अपील न्यायालय में जमा की गई डिक्री संबंधी राशि। *(4 अंक)*

(iv) छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिमों पर दंडस्वरूप ब्याज। *(4 अंक)*

(v) सहायता सामग्री के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन से भारत सरकार द्वारा प्राप्त सहायता। *(4 अंक)*

(iv) सरकार की इक्विटी धारिताओं का विनिवेश। *(4 अंक)*

7. निम्नलिखित में से **किन्ही चार** पर टिप्पणी कीजिएः

(i) भुगतान और लेखा अधिकारी की लेखा अधिकारिता के अंतर्गत कार्यरत सरकारी कर्मचारी के भवन निर्माण अग्रिम के शेषों के अंतरण से संबंधित नामे को स्वीकार करते हुए उक्त अधिकारी ने इस राशि को मुख्य शीर्ष 7610 - सरकारी कर्मचारियों को कर्ज - भवन निर्मण अग्रिम के नामे डालकर अदायगी की। *(5 अंक)*

(ii) चेक आहरणकर्ता आहरण और संवितरण अधिकारी के पक्ष में वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लिए साखपत्र जारी करते समय भुगतान और लेखा अधिकारी ने बैंक को परामर्श दिया कि वे पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार साखपत्र में खर्च न किए गए शेष को अग्रेनीत करें। *(5 अंक)*

(iii) मार्च माह के लिए बाहरी वेतन बिलों की अदायगी करने के बाद इस संबंध में निवल नामे को भुगतान और लेखा अधिकारी द्वारा मुख्य शीर्ष 8658 - उचंत लेखा - मार्च माह के बाहरी वेतन बिल के अंतर्गत दर्ज किया गया था। इस संबंध में अगले वित्तीय वर्ष के दौरान अप्रैल माह को उपर्युक्त उचंत शीर्ष को प्रतिपक्षी (-) नामे डालते हुए अंतिम शीर्ष के नामे डाल दिया गया। *(5 अंक)*

(iv) अभिकर्ता मंत्रालय के नियंत्रण में निधियां देने के बाद भुगतान और लेखा कार्यालय ने इस राशि को मुख्य शीर्ष 8658 - उचंत लेखा के नीचे लघु शीर्ष सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक उचंत को प्रतिपक्षी जमा करके अंतिम शीर्ष के नामे डाल दिया। *(5 अंक)*

(v) भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर के चैनल के माध्यम से पंजाब सरकार को सहायता अनुदान की अदायगी की व्यवस्था करते समय इस राशि का समायोजन प्रधान लेखा कार्यालय ने मुख्य शीर्ष 8670 - चेक और बिल के नीचे लघु शीर्ष भुगतान और लेखा कार्यालय चेक को प्रतिपक्षी जमा करके अंतिम लेखा शीर्ष के नामे डालकर कर दिया। *(5 अंक)*

8. निम्नलिखित में से **किन्हीं चार** पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिएः-

(i) भारत सरकार द्वारा दी गई गारंटियां *(5 अंक)*

(ii) ऋण संबंधी कुर्की *(5 अंक)*

(iii) प्रोफार्मा संशोधन *(5 अंक)*

(iv) नई सेवाएं और सेवा की नई मद *(5 अंक)*

(v) स्थायी अग्रिम *(5 अंक)*